न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ. जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या– 56/2019

निर्णय दिनांक– 28.12.2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामूराम पुत्र हरसुखराम जाति गुर्जर निवासी उस्तरां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. हरदीनराम पुत्र हरसुखराम 2. चन्द्राराम पुत्र हरसुखराम जातियान गुर्जर निवासीगण उस्तरां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 3. तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

वकील वादी ने एक वाद मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है–

1. यह है कि ग्राम उस्तरां तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 113 जिसके खसरा नं. 858 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 1032 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 1042 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 1044 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 1076 रकबा 10 बिस्वा कुल खसरान 05 कुल रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा एवं खाता संख्या 773 जिसके खसरा नं. 861 रकबा 06 बीघा एवं खाता संख्या 296 जिसके खसरा नं. 681/1 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 682/1 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 1035/3 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुल खसरान 03 कुल रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसको आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी वादी व अन्य सहखातेदार के नाम की संयुक्त खातेदारी हकूक की कब्जा सुद भूमि है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।
2. यह है कि वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी भूमि है जो वादी की पुस्तैनी भूमि है। जिसमें वादी का नाम नारायणराम पुत्र हरसुखराम दर्ज है लेकिन वादी के अन्य दस्तावेजों जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम रामूराम पुत्र हरसुखराम है। नारायणराम पुत्र हरसुखराम जाति गुर्जर नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। वादी ने वादग्रस्त आराजी में अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नारायणराम के स्थान पर रामूराम नाम की खातेदारी घोषणा करवा कर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर सम्मन जारी किए गए जो तामिली पश्चात शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री अशोक सैनी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
Scanned with CamScanner

गया जिसमें बताया गया कि रामूराम पुत्र हरसुखराम एवं नारायणराम पुत्र हरसुखराम दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है जो हमारा भाई है। हमारे पिताजी का फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय रामूराम की जगह नारायणराम नाम लिख दिया गया जबकि सही नाम रामूराम है। वादी का घरेलू बोलचाल का नाम लिख दिया था। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपति नही है। प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार भोपालगढ़ की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि हल्का पटवारी उस्तरां द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम उस्तरां के खाता संख्या 113, 296, 773 में वादी का नाम नारायणराम पुत्र हरसुखराम जाति गुर्जर है। वादी, प्रतिवादी तथा मौतबिरानों से पूछताछ करने पर बताया कि नारायणराम पुत्र हरसुखराम एवं रामूराम पुत्र हरसुखराम दोनों एक ही व्यक्ति है। अगर वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम नारायणराम पुत्र हरसुखराम के स्थान पर रामूराम पुत्र हरसुखराम किया जाता है तो भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ़ को कोई आपति नही है। सहमति का जवाब प्रस्तुत होने से तनकीयात कायम नही की गयी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 के साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की ओर से सहमति का जवाब होने से साक्ष्य जिरह नही चाही गयी। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वादी के शपथपत्र, अन्य दस्तावेजों, तहसीलदार भोपालगढ़ के जवाब दावा एवं साक्ष्यों के शपथपत्र एवं वकील उभयपक्ष एवं सरकारी पैरोकार तहसीलदार भोपालगढ़ की बहस के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम उस्तरां तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 113 जिसके खसरा नं. 858 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 1032 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 1042 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 1044 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 1076 रकबा 10 बिस्वा कुल खसरान 05 कुल रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा एवं खाता संख्या 773 जिसके खसरा नं. 861 रकबा 06 बीघा एवं खाता संख्या 296 जिसके खसरा नं. 681/1 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 682/1 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 1035/3 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुल खसरान 03 कुल रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में नारायणराम पुत्र हरसुखराम के स्थान पर रामूराम पुत्र हरसुखराम दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

28.12.2020

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
~~सहायक कलक्टर~~
एवं उपखंड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner